इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258] भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 जून 2019—आषाढ़ 8, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्र. एफ ए-3-26-2019-1-पांच-(53).—राज्य सरकरा, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले या इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-16-2019-1-पांच (31) दिनांक 17 मई 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त अधिसूचना'' कहा गया है) के फायदे का उपभोग करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो विवरणी देने और कर का संदाय करने के लिए नीचे यथावर्णित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे.

2. उक्त व्यक्ति, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में एक स्वनिर्धारित कर संदाय के ब्यौरे में अंतर्विष्ट करते हुए, यथास्थिति, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग का ऐसे तिमाही के उत्तरवर्ती मास की 18 तारीख तक एक विवरण प्रस्तुत करेंगे.

3. उक्त व्यक्ति, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-4 में, यथास्थिति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए एक विवरणी, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से आगामी की 30 अप्रैल को या उसके पहले प्रस्तुत करेंगे.

4. उक्त अधिसूचना का उपभोग करके कर का संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के बारे में, ऐसी अवधि के संबंध में जिसके लिए उन्होंने उक्त फायदे का उपभोग किया है, यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 37 और धारा 39 के उपबंध का अनुपालन किया है यदि वे उन्होंने उपरोक्त पैरा 2 और पैरा 3 में यथा उपबंधित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 और प्ररूप जीएसटीआर-4 दे दिया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्र. एफ-ए-3-26-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-26-2019-1-पांच (53), दिनांक 29 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 29th June 2019

No. F A-3-26-2019-1-V-(53).—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons paying tax under the provisions of Section 10 of the said Act or by availing the benefit of this department notification No. F A-3-16-2019-1-V(31) dated 17th May 2019, (hereinafter referred to as "the said notification") as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing of return and payment of tax.

2. The said persons shall furnish a statement, every quarter or, as the case may be, part there of containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP–08 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, till the 18th day of the Month succeeding such quarter.

3. The said persons shall furnish a return for every financial year or, as the case may be, part theret of in FORM GSTR-4 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, on or before the 30th day of April following the end of such financial year.

4. The registered persons paying tax by availing the benefit of the said notification, in respect of the period for which he has availed the said benifit, shall be deemed to have complied with the provisions of Section 37 and Section 39 of the said Act if they have furnished FORM GST CMP-08 and FORM GSTR-4 as provided in para 2 and para 3 above.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.